न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर(जिला श्रीगंगानगर)

पुष्पा बनाम विजयपाल
एफ.आर. प्रकरण संख्या 200/2024(Cis No. 200/2024)

12.03.2026

परिवादिया अनुपस्थित। परिवादिया की ओर से अधिवक्ता श्री संत कुमार उपस्थित।

साक्ष्य सरसरी में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश करना अधिवक्ता परिवादिया ने जाहिर किया। साक्ष्य सरसरी का अवसर बंद किया जाता है।

बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादिया ने प्रोटेस्ट पिटीशन में अंकित कथनों की पुनारावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि क्त मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी ने निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया, बल्कि आरोपीगण को बचाने की नियत से अपनी मनमर्जी से अनुसंधान किया है। अनुसंधान अधिकारी ने गवाहान के बयान उनके बोलेनुसार लेखबद्ध न कर अपनी मनमर्जी से लिख लिये है। अंत में आरोपीगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादिया पुष्पारानी द्वारा दिनांक 10.10.2024 को एक हस्तगत परिवाद विरूद्ध अप्रार्थीगण विजयपाल व अन्य, अंतर्गत धारा 316(2), 85, 119, 74, 64, 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा परिवाद वास्ते जाँच अंतर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस के तहत थानाधिकारी, पुलिसथाना –सादुलशहर को प्रेषित किया गया, जहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 375/2024, उक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, बाद अनुसंधान अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू (गलतफहमी) में दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर परिवादिया अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की, किंतु प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की, ना ही स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान लेखबद्ध करवाये। ऐसी दशा में यह प्रतीत होता है कि परिवादिया हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही चाहने की इच्छुक नहीं है और संबंधित थाना की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन परिवादिया को स्वीकार्य है।

अनुसंधान अधिकारी पुलिसथाना–सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर की ओर से अंतिम प्रतिवेदन अदमवकू(झूठ) में इस आशय का पेश किया कि परिवादिया पुष्पारानी पुत्री धन्नाराम की शादी 23.04.2015 को विजयपाल पुत्र शंकरलाल

निवासी सुरजनसर व पुष्पारानी के भाई धमेन्द्र की शादी सुमन पुत्री शंकरलाल जाट निवासी सुरजनसर के साथ अट्ठा सट्ठा में हुई थी। शादी के बाद परिवादिया का भाई धर्मेन्द्र नशा करने का आदी हो गया, जिस कारण धर्मेन्द्र की पत्नी सुमन ने तलाक लेकर दूसरी जगह लिव इन रिलेशनशीप में चली गई। इसी बात से नाराज होकर पुष्पारानी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताडना व पडौसी रामेश्वरलाल के खिलाफ बलात्कार का झुठा मुकदमा बढाचढा कर दर्ज करवा दिया। पुष्पारानी द्वारा पंचायत में किसी प्रकार की सहमति नहीं होने के कारण के लिए गलत फहमी में आकर यह मुकदमा किसी के बहकावें आकर बढ़ा चढ़ा कर दर्ज करवा दिया। पंचायत द्वारा दोनों पक्षों की गलत फहमी दूर कर घर बसाने के लिए राजीनामा करवा दिया। परिवादिया द्वारा गलतफहमी में आकर मुकदमा दर्ज करवाने व रामेश्वरलाल द्वारा कोई गलत हरकत नहीं करने बाबत राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाही। परिवादिया द्वारा रामेश्वरलाल पर बलात्कार के लगाये गये आरोप प्रमाणित नही पाये गये। तफ्तीश पुलिस से मुकदमा गलत फहमी में दर्ज करवाना पाया गया है।

अतः परिवादिया साक्ष्य के अभाव में एवं धारा 161 सीआरपीसी के बयान, अंतिम रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली पर प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत प्रथम दृष्टया आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिन आधारों पर पुलिस ने एफआर पेश की है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार इस स्तर पर पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं।

अतः इस प्रकरण में थानाधिकारी पुलिसथाना–सादुलशहर की ओर से प्रस्तुत एफ.आर. अदमवकू(झूठ) में स्वीकार की जाती है। केस डायरी अभियोजन अधिकारी के माध्यम से थानाधिकारी पुलिसथाना–सादुलशहर को लौटाई जावे।

पत्रावली पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

SATPAL

Steno Gr.II
"authenticate document"
Digitally signed by SATPAL
Date: 2026.03.16 16:07:59 +0530